

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 85/2025

1. मनोजसिंघ पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी


बनाम

2. भूपसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
प्रतिवादी

डिक्री

आज यह चाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रोहीताश चाहर व प्रतिवादी वकील अरविन्द नैण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 5 सीडीआर के खाता सं० 80/76 की कुल 1.265 है० कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता सं० 86/80 की कुल 0.759 है० कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 5 सीडीआर के खाता सं० 80/76 व 86/80 में से प्रतिवादी भूप सिंह पुत्र पृथ्वीराज का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।